

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व चिलेश्वर
भू अभिलेख निरीक्षक गोरखा करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कान जी का रेडा पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा
में खाता संख्या
व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्बन्ध
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
04	कान जी का रेडा	45, 46	काउर खान पिला इस्माइल मुसलमान	काउर खान पिला इस्माइल सिन्धि मुसलमान

उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
दिनांक :-

क्रमांक/न्यायालय/2021/02

प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री काउर खान पिला इस्माइल सिन्धि मुसलमान
निवासी - कान जी का रेडा

उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
करेड़ा